XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
वासगीत पर्चा वाद संख्या–32/2009
धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

शिवनारायण शर्मा, पिता–स्व0 महंथ लाल शर्मा, साकिन–डुमरिया, थाना–मीरगंज, जिला–पूर्णियाँ.....
आवेदक

बनाम्

1. राज्य .....
2. अशोक ऋषिदेव, पिता–अनंदी ऋषिदेव
3. परमानन्द ऋषिदेव, पिता–विश्वनाथ ऋषिदेव
4. टिम्हा ऋषिदेव, पिता–स्व0 रामफल ऋषिदेव
5. शंकर ऋषिदेव

सभी का साकिन– डुमरिया, थाना–मीरगंज, जिला– पूर्णियाँ..... विपक्षी संख्या–2

विपक्षी संख्या–1

आ दे श

आवेदक अंचलाधिकारी, धमदाहा द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या– 35/1994–95 में दिनांक 01.08.1994 एवं दिनांक 04.09.1995 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–चिकनी, थाना–धमदाहा, खाता संख्या–230, खेसरा संख्या–2419, रकवा–41 डिसमिल जमीन का वास्तविक भूस्वामी श्रीमती निर्मला देवी, पति–रमानन्द सिंह थे। आवेदक वर्ष 1991 ई0 में उपरोक्त जमीन भूस्वामी से निबंधित केवाला द्वारा खरीदकर दखलकार है। आवेदक को पता चला कि विपक्षी संख्या–2 उसके द्वारा खरीदे गये जमीन का वासगीत पर्चा अपने नाम बनवा लिये है। तत्पश्चात आवेदक वासगीत पर्चा अभिलेख का बजाप्ता नकल प्राप्त किया, जिससे स्पष्ट हुआ कि विपक्षी ने मृत व्यक्ति स्व0 देवनारायण प्रसाद को भूस्वामी बनाकर गलत तरीके से पर्चा बनवाया है। अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से विपक्षी के नाम पर्चा बना। पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूस्वामी को नोटिश भी निर्गत नहीं किया गया। विपक्षीगण के घर प्रश्नगत जमीन पर नहीं है, बल्कि उनका घर मौजा–डुमरिया, खाता संख्या–278, खेसरा संख्या–695/1222, 695/1223, 695/1224 एवं 695/1225 पर स्थित है। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत भी नहीं है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षीगण का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। प्रश्नगत जमीन का भूस्वामी आवेदक नहीं है बल्कि वास्तविक भूस्वामी देवनारायण प्रसाद थे। जिस समय पर्चा बना था, उस समय भूस्वामी देवनारायण प्रसाद जीवित थे और उन्हीं के नाम नोटिश भी निर्गत हुआ था। विपक्षीगण का घर प्रश्नगत जमीन पर है और इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत प्रश्नगत जमीन पर घर बनाने के लिये उनलोगों को सरकार से रूपया भी प्राप्त हुआ है। आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और विपक्षीगण को बेदखल करने के उददेश्य से यह वाद प्रारम्भ किये है। अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से निवेदन करता

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 16.04.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी के द्वारा निम्न न्यायालय में एक म1त व्यक्ति को विपक्षी बनाया गया। आवेदक को निम्न न्यायालय के वाद में पक्ष नहीं बनाया गया है। अंचलाधिकारी के स्थल स्थल जाँच भी नहीं किया गया है। विपक्षियों को पूर्व से ही जमीन एवं मकान है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एवं विपक्षी एक ही गाँव के है एवं विवादित जमीन से संबंधित आवेदक को कन्फ्यूजन है। विवादित जमीन में उनका दखल–कब्जा है एवं उसमें इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बना हंआ है। आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में दायर वाद में इस बात को स्वीकार किया गया। परन्तु इसे जबरन दखल–कब्जा कहा, जो गलत है। जबरन दखल–कब्जा की स्थिति में आवेदक को Tress Pass Act के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। विपक्षी अपने को प्रश्रय प्राप्त रैयत बताते हुए शांतिपूर्ण दखल–कब्जा के आधार पर ही निम्न न्यायालय से पर्चा मिलने की बात कही गयी।

पुनः दिनांक 25.05.2012 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के पश्चात स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। आवेदक के द्वारा अपने दावा के पक्ष में कोई भी ठोस सबूत उपलब्ध नहीं करा पाया। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश में किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ